(40

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur/ 2701 Dated: - 10.08.2010

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna

Sir,

Audit Report No. **525/10-11** on the accounts of **Nagar Panchayat Sugauli** for the period **2006-07 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

10.8.10

(Pankaj Kumar Choudhary)
Audit Officer/Surcharge

Encl:- As above

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या:– 525/2010–11

नगर पंचायत, सुगौली
लेखा वर्ष – 2006–07 एवं 2007–08

प्रस्तावना :–

नगर पंचायत सुगौली के वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की अवधि के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.06.2010 से 30.06.2010 के अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

	अध्यक्ष	अवधि
(i)	श्रीमति मंजू देवी	01.04.06 से 08.06.07
(ii)	मो0 अबु लेस	09.06.07 से 31.03.08

	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
	अनुपलब्ध	01.04.06 से 03.04.06
(i)	श्री नलिन कुमार	04.04.06 से 18.04.07 तक
(ii)	श्री रमाशंकर प्रा0 वि0पदा0	19.04.07 से 15.12.07 तक
(iii)	श्री जितेन्द्र प्रसाद साव	16.12.07 से 31.03.08 तक

3. लेखा परीक्षा परिसीमा

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I में तथा असंधारित अथवा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – II पर दी गई है।

4. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगर पालिका अधिनियम 1922 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमावलियों में नगर पंचायत के लेखाओं के आंतरिक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 29, 30, तथा 66 एवं करों की वसूली नियमावली 1951 के नियम 37 तथा 39 में अनेक प्रकार के जाँचों का प्रावधान है, जिसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी या पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिए।

परन्तु नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच क्रम में यह पाया कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा उक्त जाँच नहीं की गई जिसके फलस्वरूप अनेक त्रुटियाँ हुई। भविष्य में ऐसी त्रुटियों के पुनरावृति रोकने के लिए नगर पंचायत अधिकारियों द्वारा नियमित जाँच की व्यवस्था की जाय।

5. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की निष्पादित / लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार है।

३८

कम सं0	प्रतिवेदन सं0/ वर्ष	लेखा परीखा अवधि	कुल कंडिकाएँ	निष्पादति कंडिकाएँ	लंबित कंडिकाएँ
1	157/1997–98	1991–92	32	शून्य	32
2	91/1998–99	1992–93 से 1997–98	36	शून्य	36
3	410/2004–05	1998–99 से 1999–2000	33	शून्य	33
4	185/2006–07	2001–02 से 2005–06	21	शून्य	21
		कुल –	122	शून्य	122

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आपत्तियों के निराकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों का अनुपालन नहीं किए जाने से लेखा परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

अतः लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन तैयार कर निष्पादन हेतु लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जाए।

6. **कार्यरत बल**

नगर पंचायत सुगौली में स्वीकृत पदो के विरूद्ध कार्यरत बलों की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

कम सं0	पद नाम	स्वीकृतबल	कार्यरत बल	रिक्त पद
1	प्रधान सहायक–सह–लेखापाल	1	1	शून्य
2	टैक्स दारोगा–सह–रोकड़पाल	1	1	शून्य
3	सफाई जमादार	1	शून्य	1
4	पद चर	1	शून्य	1
5	स्वीपर	5	2	3
	कुल –	9	4	5

स्वीकृत पदो के विरूद्ध आधे से भी कम बल (Men-in-Position) कार्यरत थे।

7. **वित्त (आय–व्यय)**

नगर पंचायत सुगौली के वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की अविध में विभिनन स्रोतों से प्राप्त आय व व्यय निम्नांकित है:–

कम सं0	विवरण	2006–07	2007–08
1	प्रा0 शेष	96,61,329.00	91,22,955.00
2	वर्ष की प्राप्ति	48,33,364.00	78,47,522.00
3	कुल योग	1,44,94,693.00	1,69,70,477.00
4	कुल व्यय	53,71,738.00	90,56,353.00
5	अंतशेष	91,22,955.00	79,14,124.00

(विवरण परिशिष्ट – III पर)

8. समाधान विवरणी

1	रोकड़ बही के आधार पर अंतशेष (31.03.08)		79,19,124.00
2	पास बुक शेष (31.03.08)		
(क)	कोषागार पास बुक	58,94,975.18	
(ख)	चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता सं0 555369	5,58,807.00	
(ग)	चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खाता सं0 2302	7,11,476.00	
(घ)	पंजाब नेशनल बैंक, खाता सं0 8084	3,42,720.00	
(ड.)	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खाता सं0 6001	23,02,720.00	
(च)	चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता सं0 4593	2,14,191.00	
(छ)	बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0 2099	4,43,574.00	
	कुल (क से छ तक)	**1,04,68,463.18**	**1,04,68,463.18**
3	**अन्तर (2 –1)**		**25,54,339.18**

रोकड़ बही की अंतशेष व बैंक पासबुक अंतशेष की अंतर राशि का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। इसे तैयार कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

(9) **रोकड़बही**

रोकड़बही की संधारण बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली में विहित प्रपत्र में नहीं की गई थी। रोकड़बही के अवलोकन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई:–

(i) रोकड़ बही में आय एवं व्यय का शीर्ष के साथ विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया गया था।

(ii) प्रत्येक भुगतान में प्रमाणक संख्या एंव चेक सं0 /बैंक का नाम दर्ज नहीं किया गया था।

(iii) रोकड़ बही के अंतशेष का विश्लेषण व समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

(iv) बैंक में जमा राशि का चालान सं0/चेक सं0 आदि रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किया गया था।

(v) रोकड़बही में बहुत ओवरराइटिंग किया गया था।

(vi) वित्तीय वर्ष के अंत में आय–व्यय का वार्षिक सार तैयार नहीं किया गया था।

(vii) रोकड़बही एवं बैंक पास बुक के मिलान के कम में पाया गया कि कुछ मामलों में रोकड़बही में दर्ज राशि संबंधित पासबुक में दर्ज नहीं था एवं कई मामलों में राशि बैंक पासबुक में दर्ज था, परंतु रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं था। विवरणी निम्नलिखित है–

(क) वैसी राशि जो रोकड़ पंजी में दर्ज है परन्तु पास बुक में नहीं

कम सं0	प्रमाणक सं0 / तिथि	राशि (रू0)	विवरण
1	–/10.10.07	1,49,550.00	प्रशासनिक भवन योजना में व्यय
	कुल –	**1,49,550.00**	

(ख) वैसी राशि जिसे बैंक खाते से निकाली की गई पर रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं की गई

(36)

क्रम सं0	पासबुक में निकासी तिथि	राशि (रू0)	पासबुक
1	06.01.07	77,289.00	चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता सं0 4593
2	10.10.07	1,37,775.00	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता सं0 6001
3	15.11.07	20,000.00	– वही –
4	15.11.07	6,000.00	– वही –
5	19.03.08	1,56,924.00	– वही –
	कुल –	3,97,988.00	

कुल रू0 3,97,988.00 की निकासी का औचित्य पूर्ण विवरण के साथ अगले लेखा परीक्षा को दिखायी जाए।

(10) बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम – 1922 की धारा 71 (i) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 84 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार कर नगरपालिका की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा एवं धारा – 86 के तहत बैठक में स्वीकृत बजट राज्य सरकार द्वारा निदेशित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा के अंदर भेज दिया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगर पंचायत कोष से कोई भी व्यय बजट प्राक्कलन में प्रावधान के बिना नहीं किया जाएगा।

परन्तु लेखा परीक्षा अवधि 2006–07 एवं 2007–08 में नगर पंचायत, सुगौली द्वारा कोई बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। फलतः कुल 1,44,28,091 रू0 का व्यय अप्राधिकृत रूप से किया गया।

(11) अनुदान

नगर पंचायत, सुगौली द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे दिनांक 01.04.2006 को अनुदान का आरंभिक शेष, वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान अनुदान की व्यय राशि एवं अव्ययित राशि (Unspent Grant) तथा दिनांक 31.03.2008 को अनुदान की अवशेष राशि का पता नहीं चल सका। यह भी पता नहीं चला कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया था उसी उद्देश्य पर उसे व्यय किया गया। रोकड़बही एवं आवंटन पंजी में दर्ज विवरणों के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि में नगर पंचायत, सुगौली द्वारा निम्नांकित अनुदान प्राप्त किया गया।

क्रम सं0	पत्रांक / दिनांक	चेक सं0 / दिनांक	राशि (रू0)	उद्देश्य
1	3115 / न0वि0आ0वि / 11.08.06	बिल नं0- 3 / 06-07	6,76,285.00	12 वॉं वित्त आयोग
2	5674 / न0वि0आ0वि / 19.12.07	बिल नं0– 1 / 07--08	11,22,236.00	- तदैव -
3	1028 / न0वि0आ0वि / 18.12.07	216797 / 17.12.07	32,362.00	BPL सर्वेक्षण हेतु
4	432 / न0वि0आ0वि / 07.02.07	बिल नं0– 2 / 06–07	23,25,000.00	पथ निर्माण / जीर्णोद्धार
5	934 / न0वि0आ0वि / 04.11.06	–	94,086.00	BPL सर्वेक्षण हेतु
6	125 / न0वि0आ0वि / 18.02.08	ड्राफ्ट सं0-- 116076 / 06.08.08	6,90,242.00	SJSRY
7	3515 / 19.09.06	बिल नं0-- 1 / 06--07	7,25,000.00	उपकरण क्रय हेतु
8	1256 / 19.06.06	बिल नं0– 1 / 06.06.07	3,82,784.00	स्टाम्पड्यूटी
9	371 / 05.04.07	ड्राफ्ट सं0-- 196315 / 20.07.07	20,527.00	वेतन मद
10	1612 / 17.04.07	ड्राफ्ट सं0-- 090738 / 11.04.07	28,87,875.00	प्रशासनिक भवन निर्माण
11	5264 / 26.11.07	-	2,05,272.00	वेतन मद
12	501 / 27.07.07 जिला पदाधिकारी	--	30,000.00	चुनाव 2007 हेतु
13	--	MR No. 9631 / 01.08.07	10,000.00	– तदैव–
14	691 / 22.05.07	MR No. 967 / 24.05.07	92,000.00	– तदैव
15	856 / 21.02.08	बिल नं0– 3 / 07–08	12,70,000.00	विधायक अनुशंसा पर चापाकल
16	560 / 16.08.07	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	16,200.00	आर्थिक गणना हेतु
		कुल –	10579869.00	

अनुदान पंजी का संधारण किया जाए तथा इसे उपयोगिता प्रमाण– पत्र एवं स्वीकृत्यादेश के साथ अगले लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाए।

(12) **कम जमा**

फार्म एच0 रसीद (गृह कर संग्रह, रसीद) को दैनिक वसूली पंजी एवं विविध रसीद के मिलान के क्रम में यह पाया गया कि फार्म एच0 द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में कुल 6,88,730.00 रू0 की वसूली की गई थी परन्तु विविध रसीदों के माध्यम से कुल 5,95,544.00 रू0 का ही जमा पाया गया। शेष 93,187.00 रू0 का जमा नहीं देखा गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – IV पर)

कम जमा की 93,187 रू0 की राशि अविलम्ब नगर पंचायत कोष में जमा किया जाए तथा अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

(13) **रोकड़पाल द्वारा विविध रसीद बही से गृह कर के मद में प्राप्त राशि का कम जमा किया जाना।**

रोकड़पाल द्वारा विविध रसीद बही से गृह कर संग्रह की प्राप्त कुल राशि 5,95,535 रू0 में से कुल 5,38,544.00 रू0 बैंक में जमा किया गया। इस प्रकार 56,991.00 रू0 बैंक में कम जमा कर नगर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – V पर)

कम जमा की कुल राशि रू0 56,991.00 को नगर पंचायत कोष में अविलम्ब जमा किया जाए तथा जमा किये जाने का प्रमाण अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

(14) **प्रत्यक्ष विनियोजन**

रोकड़पाल द्वारा गृह कर संग्रह मद में प्राप्त राशि में से 21,451.00 रू0 की राशि नगर पंचायत कोष में जमा नहीं करके दैनिक व्यय हेतु प्रत्यक्ष विनियोजन किया गया। इस व्यय को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया था। विवरण निम्नांकित है:–

क्रम सं0	प्रमाणक सं0	रोकड़ बही की तिथि	व्यय की राशि	व्यय का विवरण
1	21/ 2007–08	21.12.07	3,997.00	डीजल व्यय
2	22/2007–08	21.12.07	17,454.00	स्टेशनरी आदि
		कुल –	21,451.00	

प्रत्यक्ष विनियोजन की कुल राशि को शीघ्रता से नियमित किया जाय। कर संग्रह से प्राप्त राशि को नगर पंचायत निधि में जमा न कर व्यय करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। भविष्य में इससे बचा जाए।

(15) **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर शीर्ष में वसूली की गई राशि**

राज्य सरकार के निर्देशानुसार गृहकर के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर शीर्ष में वसूली गृहकर के 50% की दर से की जानी है तथा वसूल की गई राशि में से 10% वसूली प्रभार काटकर शेष राशि राज्य सरकार के उपयुक्त शीर्ष में जमा करा दिया जाना है।

(३५)

परन्तु, नगर पंचायत, सुगौली द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के मद मे वसूल की गई राशि राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गई। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	वसूली गई शिक्षा उपकर की राशि	वसूली गई स्वास्थ्य उपकर की राशि
2006–07	41,877.50	41,877.50
2007–08	1,21,705.50	1,21,705.50
कुल --	1,63,583.00	1,63,583.00
	कुल वसूली	3,27,166.00
	वसूली प्रभार (10%)	(–) 32,716.60
	जमा कराने योग्य राशि	2,94,449.40

जमा कराने योग्य कुल राशि 2,94,449.40 रू0 को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

16. मोबाईल टावर किराया

संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के ज्ञापांक 5245 दिनांक 26.11.2007 द्वारा शहरी निकाय क्षेत्र में अवस्थित मोबाईल टावरों से प्रति मीटर 2,000.00 रू0 की दर से वसूली का निर्देश नगर निकायों को दिया गया था। साथ ही उक्त टावरों के जमीन मालिकों / मकान मालिकों से भी व्यावसायिक उपयोग हेतु टैक्स वसूलने का निर्देश दिया गया था।

मोबाईल टावरों से संबंधित संचिका की जॉच में यह पाया गया कि नगर पंचायत, सुगौली के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों का बकाया किराया (अंकेक्षण अवधि का) अंकेक्षण के समय तक वसूल नहीं किया गया था। विवरण निम्नांकित है:–

कम सं0	मोबाईल टावर का नाम	वार्ड न0	लम्बाई	निर्धारित किराया (वार्षिक में)	बकाया (किस वर्ष से)	कुल बकाया
1	एयरटेल	01	45 मीटर	2000.00 प्रति मी0	2007–08	90,000.00
2	एयरटेल	08	45 मीटर	2000.00 प्रति मी0	2007–08	90,000.00
3	टाटा इंडिकॉम	06	50 मीटर	2000.00 प्रति मी0	2007–08	1,00,000.00
4	रिलायंस	06	50 मीटर	2000.00 प्रति मी0	2007–08	1,00,000.00
5	एयरटेल	06	50 मीटर	2000.00 प्रति मी0	2007–08	1,00,000.00
					कुल –	4,80,000.00

मोबाईल टावर कंपनियों से उक्त बकाया राशि 4,80,000.00 रू0 की शीघ्र वसूली कर राशि नगर पंचायत कोष में जमा किया जाए। साथ ही उक्त टावरों के जमीन / मकान मालिकों से व्यावसायिक उपयोग हेतु टैक्स का निर्धारण किया जाए एवं उसकी वसूली की जाए।

(17) जीप मोटर वाहन पड़ाव की बन्दोबस्ती

जीप मोटर वाहन पड़ाव की बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं की जॉच से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा अवधि में की गई बन्दोबस्ती की कुल 1,01,388.00 रू0 की राशि जमा नहीं की गई। विवरण निम्नांकित है :–

क्र सं0	वर्ष / बंदोबस्ती तिथि	बंदोबस्ती की राशि	स्टाम्प शुल्क व निबंधन शुल्क	कुल जमा योग्य राशि 3+4	जमा राशि M.R. सं0 / तिथि	राशि	बकाया राशि	बंदोबस्तकार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2006-07 / 21.04.06	1,50,011.00	10,314.00	1,60,325.00	781 / 21.04.06	75000.00	40,325.00	श्री शिवशंकर कुमार, पिता श्री नगीना साह
					784 / 09.06.06	25,000.00		
					788 / 01.08.06	10,000.00		
					827 / 09.01.07	10,000.00		
						1,20,000.00		
2	2007-08 / 28.03.07	1,91,000.00	17,763.00	8,08,763.00	831 / 31.03.07	1,47,700.00	61,063.00	श्री रौशन सिंह, पिता- श्री शत्रुघ्न सिंह
					कुल बकाया राशि		1,01,388.00	

बन्दोबस्ती की शर्तों के अनुसार, बन्दोबस्ती की राशि एकमुश्त जमा करने के पश्चात् ही वसूली हेतु आदेश जारी किया जाना था। एकमुश्त जमा नहीं कराये जाने की दशा में, जमानत की राशि जब्त कर द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता के साथ बंदोबस्ती की जानी थी। परंतु संचिका की जॉच से ज्ञात हुआ कि बिना एकमुश्त राशि जमा कराए ही बन्दोबस्तकार को वसूली हेतु आदेश निर्गत किया गया। इस प्रकार नगर पंचायत को 1,01,388.00 रू0 की हानि हुई।

बंदोबस्तकार से बकाया राशि वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय एवं कृत कारवाई से स्था0ले0प0 को अवगत कराया जाय।

बन्दोबस्तीधारक से राशि वसूलने में असफल रहने पर बिहार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1925 की धारा 9 (1) (बी) के अनुसार अधिभार के तहत वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जायगी।

18. **साइकिल, रिक्शा, तांगा टिन टिकट की बंदोबस्ती**

साइकिल, रिक्शा, तांगा टिन टिकट की बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं की जॉच से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा अवधि में की गई बंदोबस्ती की कुल 37,834.00 रू0 की राशि जमा नहीं की गई थी। विवरण निम्नांकित है:-

क्र सं0	वर्ष / बंदोबस्ती तिथि	बंदोबस्ती की राशि	स्टाम्प शुल्क व निबंधन शुल्क	कुल जमा योग्य राशि 3+4	जमा राशि M.R. सं0 / तिथि	राशि	बकाया राशि	बंदोबस्तकार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2006-07 / 17.04.06	32,150.00	2982.00	35,132.00	780 / 17.04.06	23,200.00	2932.00	श्री भोला प्रसाद पिता श्री शिवराम साह
					782 / 05.05.06	9,000.00		
						32,200.00		
2	2007-08 / 28.03.07	1,00,551.00	9,351.00	1,09,902.00	829 / 28.03.07	75,000.00	34,902.00	श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता पिता- श्री मोहन प्रसाद गुप्ता
	कुल -	1,32,701.00	12,333.00	1,45,034.00		1,07,200.00	37,834.00	

32

बन्दोबस्ती की शर्तों के अनुसार, बन्दोबस्ती की राशि एकमुश्त जमा करने के पश्चात् ही वसूली हेतु आदेश जारी किया जाना था। एकमुश्त जमा नहीं कराने के पश्चात् जमानत की राशि जब्त कर द्वितीय अच्चतम डाकवक्ता के साथ बंदोबस्ती की जानी थी। परंतु संचिका की जॉच से ज्ञात हुआ कि एकमुश्त राशि जमा कराये बिना ही बंदोबस्तकार को वसूली हेतु ओदश निर्गत कर दिया गया। अतः बंदोबस्तकार से उक्त बकाया 37,834.00 रू0 की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय। एवं कृत कारवाई से स्था0ले0प0 को अवगत कराया जाय।

बन्दोबस्तीधारक से राशि वसूलने मं असफल रहने पर बिहार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 9 (1) (बी) के अनुसार अधीाार के तहत वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जायगी।

19. **श्री विनय कुमार, प्लान आर्य आर्किटेक्चर को अनुचित लाभ दिया जाना।**

आई0डी0एस0एम0टी0 योजना की रोकड़ पंजी की जॉच कम में देखा गया कि प्रमाणक सं0 08/ 06–07 दिनांक 09.10.06 द्वारा श्री विनय कुमार, प्लान आर्य आर्किटेक्चर गुलिस्तान पटना को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 एवं आई0एच0एस0डी0 योजना के तहत डी0पी0आर0 मास्टर प्लान तैयार करने हेतु ब्याज मद की प्राप्त राशि से चेक सं0 0010017 दिनांक 09.10.06 द्वारा रू0 70,000/– एवं आई0टी0एस0एम0टी0 योजना का प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रमाणक सं0 07/06–07 दिनांक 07.10.06 द्वारा चे0सं0 0010016 दिनांक 07.10.06 से रू0 75,000/– अग्रिम राशि मुहैय्या कराया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य के लिए कुल अग्रिम राशि रू0 1,45,000/– भुगतान किया गया। किन्तु उक्त कार्यो का सम्पादन नहीं कराया जा सका फलतः दो साल बाद दिनांक 12.08.08 को रू0 70,000/– श्री कुमार द्वारा नगर पंचायत को वापस कर दिया गया जब कि रू0 75,000/– के संबंध में स्थिति सपष्ट नहीं थे किसी परिस्थिति में डी0पी0आर एवं प्रोजेक्ट सम्पादित नहीं किया जा सका, लेखा परीक्षा को स्पष्ट नहीं कराया जा सका। स्थिति स्पष्ट किये जाने तक 75,000.00 रू0 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

20. **रॉयल्टी एवं वैट की राशि 55,712.00 रू0 कोषागार में जमा नहीं किया जाना।**

रॉयल्टी एवं वैट की रोकड़ पंजी की जॉच कम में देखा गया कि वर्ष 2007–08 में विभिन्न कार्य योजना से रॉयल्टी एवं वैट की वसूल की गई कुल राशि रू0 55712.00 थी जो कोषगार या संबंधित विभाग के लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाना था किन्तु अंकेक्षण अवधि तक उक्त राशि कोषागार में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार लम्बे अवधि तक उक्त राशि राज्य के राजस्व खाते से बाहर रखा गया जो वितीय नियमों की अवहेलना थी।

अतः उक्त राशि शीघ्र ही राजकोष में जमा कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

21. **योजनाओं की स्थिति**

नगर पंचायत, सुगौली द्वारा विभिन्न योजनाओं के मद में प्राप्त अनुदान राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय एवं वार्ड पार्षदों के द्वारा कराया गया था। नगर पंचायत द्वारा योजना पंजी का संधारण उचित ढंग से संधारित नहीं किया गया था। योजना पंजी में दर्ज विवरण अद्यतन नहीं था। इसके अधिकांश पृष्ठों पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। योजना पंजी एंव योजना सचिकाओं में दर्ज सूचनाओं के आधार पर नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में ली गई योजनाओं की स्थिति इस प्रकार थी:–

क्रम सं0	योजना का नाम	वर्ष	ली गई योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	अभियुक्ति
1	11 वीं वित्त आयोग	06--07	11	10	--	योजना सं0-3/06--07 स्थगित, अग्रिम वापस
2	12 वीं वित्त आयोग	06--07	10	07	01	2 योजना बंद, अग्रिम वापस
		07--08	01	01	शून्य	
3	IDSMT	06--07	01	शून्य	01	कुल व्यय 18,25,000.00
		07--08	01	शून्य	01	अपूर्ण योजना में व्यय -- 15,37,251
4	SJSRY	06--07	01	01	शून्य	
5	ब्याज मद से योजना	06--07	12	12	शून्य	
6	NSDP	06--07	39	30	09	अपूर्ण योजना में व्यय 3,20,000.00
		07--08	01	01	शून्य	
		कुल --	77	62	120	36,82,251.00

नोट -- तीन योजनाएँ प्रथम अग्रिम के पश्चात् बंद कर दी गयें अग्रिम वापस

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट -- VI पर)

कुल 12 योजनाएँ अंकेक्षण अवधि तक अपूर्ण थी जिनपर कुल 36,82,251.00 रू0 व्यय किया जा चुका था। अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई की जाए।

22. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय

योजना सं0 --	01/2006--07
योजना का नाम	राजेन्द्र प्रसाद के घर से भगवान प्रसाद के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।
प्रा0 राशि	49,900.00 रू0
अभिकर्त्ता	श्रीमति रूबी देवी
कार्यादेश	09108106
कार्य पूर्ण होने की तिथि --	28.05.06 (पृ0 सं0 27 के अनुसार)

अंकेक्षण आपत्तियाँ

(1) **मस्टर रॉल** -- निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर व तिथि अंकित नहीं था। जिससे कार्य किया गया अथवा नहीं पता नहीं चल सका।

(2) **अभिश्रव** -- योजना में निम्नलिखित अभिश्रव प्रस्तुत कर भुगतान किया गया था--

क्रम सं0	अभि0 पृ0सं0	फर्म का नाम	तिथि	सामग्री	कुल भुगतान
1	11	खनिज परिवहन के द्वारा बालू का चालान	26.10.06	बालू	1,000.00
2	12	मे0 वैष्णो ट्रेडस	14.10.06	बालू व स्टोन चिप्स	19,590.00

3	13	मे जगदम्बा हार्डवेयर	28.11.06	सीमेंट	19,035.00
4	14	मे जय माता दी ईट उद्योग	14.11.06	ईट	3,952.00
5	15	– वही –	05.10.06	,,	5,437.00
6	16	ईस्टर्न मशीनरी उद्योग	10.10.06	रौलर	525.00
				कुल –	**49,539.00**

अंकेक्षण अपत्ति

(क) मस्टर रॉल पृ0सं0 20 के अनुसार इस योजना का कार्य 01.10.06 से 08.10.06 को प्रथम चरण में कराया गया था जिसमें एक राजमिस्त्री एवं 4 मजदूरों की सेवा ली गई थी। परंतु संलग्न अभिश्रवों के अनुसार दिनांक 05.10.06 को सिर्फ ईट की ही खरीद की गई थी। ऐसी स्थिति में बिना बालू एवं सीमेंट के राजमिस्त्री द्वारा क्या कार्य किया गया।

(ख) मस्टर रॉल के पृष्ठ सं0 – 19 के अनुसार इस योजना का कार्य दिनांक 18.11.06 को समाप्त हो चुका था। परन्तु इस अवधि तक सिर्फ ईट व बालू की खरीद की गई थी। सीमेंट का क्रय 28.11.06 को किया गया था अर्थात कार्य समाप्त हो जाने के बाद (?) बिना सीमेंट के राजमिस्त्रियों द्वारा क्या कार्य किया गया जबकि यह योजना पी0सी0सी0 कार्य का था।

(ग) इस योजना में दिनांक 28.11.06 को 90 बोरा सीमेंट की खरीद 19,035.00 रू0 में की गई थी। परन्तु इस योजना में यह सीमेंट कब इस्तेमाल में लाया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया था।

(3) अन्य आपत्तियॉ

(क) एकरारनामा पृ0 सं0 (30) के अनुसार अभिकर्त्ता एवं कार्यपालक पदाधिकारी के बीच 08.08.06 को किया गया था। परन्तु मस्टर रौल के अनुसार यह कार्य 01.10.06 से प्रारंभ किया गया था।

(ख) सरकार के निर्देशों के विपरीत कार्य अनिबंधित मजदूरों से कराये गये थे।

(ग) उक्त योजना में अभिश्रव – 49,539.00 + म0 रॉल – 8,220.00 रू0 कुल 57,759.00 रू0 का व्यय किया गया था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार कुल व्यय 49,870.00 रू0 ही था। अतः किन परिस्थितियों में अभिकर्त्ता द्वारा 7,889.00 रू0 (57,775 – 49,539) का व्यय किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक इस योजना में भुगतान की गई कुल राशि 49,870.00 रू0 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

23. योजना मद में दी गई अग्रिम राशि की अवशेष राशि जो अभिकर्त्ता द्वारा एम0आर0से वापस की गई, बैंक खाता में जमा नहीं किया जाना रू0 43,511/–

राष्ट्रीय गंदी बस्ती रोकड़ पंजी की जॉच क्रम में देखा गया कि विभिन्न योजनाओं में दी गई कुल अग्रिम की अवशेष राशि जो अभिकर्त्ताओं द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में एम0आर0 द्वारा वापस कर दिया गया था तथा जिसे रोकड़ पंजी की प्राप्ति में ले लिया गया था। उक्त प्राप्त राशि संबंधित योजना के बैंक खाता में जमा कर दिया जाना चाहिए था किन्तु रोकड़पाल द्वारा ऐसा नहीं किया गया एवं योजना निधि से उक्त राशि अलग रखा गया जो वित्तीय नियमों की अवहेलना थी। ऐसी स्थिति में उक्त राशि की दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्राप्त राशि का विवरण निम्नलिखित है –

क्रम सं0	अभिकर्त्ता का नाम	योजना सं0	एम0आर0सं0 एवं तिथि	जमा राशि
1	श्री ताराचन्द्र प्रसाद से0नि0 प्रधान सहायक	--	807/30.09.06	33511.00
2	श्रीमति हुस्ना बेगम	04/06--07	998/08.03.08	2500.00
3	श्रीमति सुनिता देवी	26/06--07	1024/19.04.08	7500.00
			कुल --	43511.00

उक्त प्राप्त राशि संबंधित योजना खाते में जमा कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

24. **स्वीकृत योजना (एन0एस0टी0पी0) के विरूद्ध दी गई अग्रिम योजना अकार्यन्वित होने के कारण लंबित रहना।** रू0 27,500/--

राष्ट्रीय गंदी वस्ती योजना के अन्तर्गत विभिन्न वार्डो में ईंट सोलिंग, पक्का नाला निर्माण कार्य योजना स्वीकृत किए गये थे जिसके लिए अभिकर्त्ताओं को कार्य प्रारम्भ कराने हेतु प्रथम अग्रिम का भुगतान किया गया था। किन्तु उक्त योजना किसी कारण वस कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में अभिकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त की गई अग्रिम वापस कर दिया जाना चाहिए था। उक्त राशि की वापसी करने हेतु संबंधित अभिकर्त्ताओ को कार्यालय पत्र सं0 129 दिनांक 03.12.07 सूचना भेजी गई थी किन्तु लेखा परीक्षा अवधि तक उक्त राशि की वापसी नहीं कराई जा सकी थी। लंबित राशि का विवरण निम्नलिखित है :--

क्रम सं0	योजना सं0	योजना का नाम	अभिकर्ता का नाम	प्राक्लित राशि	अग्रिम राशि
1	22/06--07	राजेश पाण्डेय के मकान से सुगौली गॉव तक जोन वाली पथ में ईंट सोलिंग	हुस्ना बेगम	99,900/--	7500.00
2	31/ 06--07	खेदू राय के घर से राधा राय के घर तक ईंट सोलिंग	श्रीमति संध्या देवी	68,300	5000.00
3	38/ 06--07	वार्ड सं0 6 में राजेन्द्र प्र0 के घर से पक्का नाला का निर्माण	श्रीमति रूबी देवी	86,600	5000.00
4	41/06--07	वार्ड सं0 6 में गणेश चौधरी के घर से बसंत साह के घर तक पक्का नाला का निर्माण	श्रीमति गायत्री देवी	92,000	7500
5	42/06--07	नागेन्द्र पासवान के घर से मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग	-- वही --	26,200	25,00
				कुल --	27500

अतः उक्त राशि की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए तथा इसे अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

25. **लाभूकों द्वारा चापाकल की अधिष्ठापन संबंधी सत्यापन नही किया जाने के कारण कार्य संदिग्ध। रू0 55,575.00**

1	योजना सं0	30/06--07
2	योजना	एन0एस0डी0पी0
3	योजना कार्य	वार्ड स0 10 में सात अदद चापाकल का अधिष्ठापन
4	प्राक्लित राशि	रू0 55,580.00

5	अभिकर्त्ता	श्रीमति संध्या देवी पति श्री काशी प्रसाद
6	मापीपुस्तिका सं0	शून्य /06–07
7	भुगतान की कुल राशि	रू0 55,575/--

एन0एस0डी0पी0 की उक्त योजना संचिका की जॉच क्रम में देखा गया कि सार्वजनिक स्थल के सात स्थलों पर शुद्ध पेयजल मुहय्या कराने के उदेश्य से सात चापकल की अधिष्ठापन कराया गया जिसकी कुल भुगतान राशि रू0 55,575.00 थी। जिन सात स्थलों पर चापाकल की अधिष्ठापन किया गया था। उन स्थलों के लाभूकों द्वारा अधिष्ठापन एवं कामयावी संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए था ताकि उसकी सत्यता प्रमाणित किया जा सके किन्तु किसी भी लाभूक द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गये थे फलतः कार्य संदिग्ध देखा गया। संचिका से यह भी देखा गया कि रू0 739/-- अदद की दर से 7 अदद प्लेटफार्म का क्रय किया गया था जिसका कुल भुगतान राशि रू0 5,173/-- था जो सादे कागज पर विपत्र बनाया गया था। तथा जिसपर बिक्रेता का हस्ताक्षर ही नहीं था और नहीं दूकान का नाम था, ऐसी स्थिति में उक्त प्रमाणक संदिग्ध एवं फर्जी थे।

रॉयल्टी एवं वैट की काटी गई कुल राशि रू0 525/- (315 + 210) किस दर पर एवं किस राशि पर काटे गये थे स्पष्ट नहीं थे।

26. मस्टर रॉल पर अधिक भुगतान

योजना सं0 –	4/2006--07(12 वॉ वित्त आयोग)
योजना का नाम	वार्ड नं0 3 हनुमान मंदिर (चीनी मिल) के समीप शौचालय का निर्माण
प्रा0 राशि	58,600.00 रू0
मापी पुस्तिका की राशि	58,600.00 रू 0
कुल भुगतान	58,600.00 रू0
अभिकर्त्ता	किशोरी लाल प्रसाद, टैक्स दारोगा

अंकेक्षण आपत्ति

योजना संचिका में संलग्न मस्टर रौल के तीनों पृष्ठों (क्रमांक मुद्रित/ अंकित नही) की जॉच में पाया गया कि चार मजदूरों की मजदूरी प्राप्तकर्त्ता के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया गया था परंतु उनकी मजदूरी का भी अभिकर्त्ता द्वारा दावा किया गया तथा भुगतान लिया गया था। विवरण निम्नांकित है --

क्रम सं0	श्रमिक का नाम	पिता का नाम	कार्य अविध	कुल कार्य दिवस	मजदूरी दर	कुल राशि
1	प्रेमचन्द सहनी	जगदेव सहनी	16.02.07 से 21.02.07	6	82.00	492.00
2	नुरैन मियॉ	नथूनी मियॉ	07.11.06 से 12.11.06	6	100.00	600.00
3	एकबाल सहनी	महादेव सहनी	01.11.06 से 06.11.06	5	82.00	410.00
4	प्रेम सहनी	राजदेव सहनी	-- वही --	5	82.00	410.00
					कुल	**1,912.00**

उपरोक्त मजदूरों द्वारा कार्य नहीं किया गया था क्योंकि मजदूरी प्राप्तकर्ता के रूप में उनके द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं लगया गया था। परंतु उनकी मजदूरी के मद में 1,912.00 रू0 का भुगतान अभिकर्त्ता को किया गया था। अतः अभिकर्ता को कुल अधिक भुगतान 1,912.00 रू0 की राशि वसूलनीय है।

27. गलत अभिश्रव पर भुगतान

योजना सं0 –	35/2006–07(राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना)
योजना का नाम	(1) मो0 जान मियाँ के घर से बिरगिल चौक तक नाला निर्माण
	(2) खुर्शीद आलम के घर से गंगा शह के घर तक पक्का नाला निर्माण
प्रा0 राशि	98,300.00 रू0
मापी पुस्तिका की राशि	87,018.00 रू 0
कुल भुगतान	87,018.00 रू0
अभिकर्ता	श्रीमति मोबीना खातुन

अंकेक्षण आपत्ति

(क) मस्टर रॉल के पृष्ठों पर क्रमांक अंकित नहीं था। मस्टर रॉल तीन प्रतियों में समर्पित किया गया था जिसमें सिर्फ प्रथम पृष्ठ पर ही कार्य अवधि दिनांक 10.06.2006 से 15.06.2006 अंकित किया गया था।

(ख) अभिश्रवों की जॉच में यह पाया गया कि 11,500 अदद ईंट की खरीद जय माता दी ईंट उद्योग, सुगौली से कैश मेमों सं0 – 102 दिनांक 16.06.2006 के द्वारा की गई तथा दुकानदार को कुल 21 528.00 रू0 का भुगतान किया गया था। ईंट की खरीद मस्टर रौल पर कार्य समाप्त हो जाने के एक दिन बाद किया गया। इससे स्पष्ट है कि ईंट खरीद का अभिश्रव फर्जी था।

(ग) कैश मेमों सं0 – 92 दिनांक 05/06/2006 के द्वारा 6000 अदद ईंट की खरीद जय माता दी ईंट उद्योग, सुगौली से की गई थी जिसके लिए 10,800.00 रू0 का भुगतान किया गया था। परंतु इस कैश ममो पर दुकानदार का हस्ताक्षर ही नहीं था। इससे स्पष्ट है कि यह अभिश्रव फर्जी था।

उपरोक्त कंडिका (ख) एवं (ग) में वर्णित अभिश्रव फर्जी थे। अतः इन पर किये गये कुल भुगतान 32,328.00 रू0 (21,528 + 10,800) के संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूली की अनुशंसा की जाती है।

28. सक्शन मशीन का क्रय

नगर पंचायत, सुगौली के कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 19.04.06 में लिए गए निर्णय के आलोक में एक वैक्युम लोडर्स सक्शन मशीन की खरीद हेतु दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 04.08.06 को निविदा आमंत्रित किया गया था। तदनुसार प्राप्त निविदा में से न्यूनत्तम दर से आधार पर श्री आर0के इन्टरप्राइजेज, मोतिहारी की निविदा को स्वीकृत किया गया जिसमें श्री आर0के0 इन्टरप्राइजेज, मोतिहारी की निविदा को स्वीकृत किया गया जिसमें श्री आर0के0इन्टरप्राइजेज द्वारा 3,000 लीटर क्षमता वाले मशीन की लागत 5,75,000.00 रू0 बतायी गयी थी।

26/

उक्त मशीन की आपूर्ति के लिए आर0के0 इन्टरप्राइजेज मोतीहारी को निम्नलिखित विवरणानुसार अग्रिम का भुगतान किया गया:–

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	बैंक खाता	राशि (रू0)
1	A/3 148076	26.06.07	कोषागार खाता	4,30,000.00

आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मशीन की आपूर्ति दिनांक 24.07.07 को की गई तथा मशीन की लागत की शेष राशि 1,45,000.00 रू0 (5,75,000.00 – 4,30,000.00) के भुगतान की मॉग की गई।

पत्रांक 115 दिनांक 06.05.08 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग, मोतीहारी को सूचना दी गई कि नगर पंचायत द्वारा क्रय की गई सक्शन मशीन की गुणवत्ता को लेकर बोर्ड की बैठक में संदेह व्यक्त किया गया है और तकनीकी जॉच के अभाव में मशीन बेकार पड़ी है। तथा कार्यपालक अभियंता, PHED से अनुरोध किया गया कि किसी यांत्रिक अभियंता (Eletrical Engineer) से मशीन की गुणवत्ता एवं लागत की जॉच कराई जाए।

संबंधित संचिका की जॉच में यह पाया गया कि सक्शन मशीन की गुणवत्ता की जॉच अंकेक्षण अवधि नहीं कराई गई थी और मशीन लगभग तीन वर्षों से बिना कार्य के बेकार पड़ी हुई थी। इस प्रकार इस मशीन की खरीद पर किये गया कुल व्यय 4,30,000.00 रू0 निष्फल साबित हुआ। अतः 4,30,000.00 रू0 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

29.　दैनिक मजदूरी पर व्यय

नगर पंचायत, सुगौली द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों को रखा गया तथा लेखा परीक्षा अवधि में उनकी मजदूरी पर कुल 1,37,910.00 रू0 का व्यय किया गया था।

(विवरण परिशिष्ट – VII पर)

दैनिक मजदूरी पर व्यय की गई कुल रू0 1,37,910.00 की घटनोत्तर स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त किया जाए तथा इसे अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

30.　अग्रिम

नगर पंचायत, सुगौली द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिससे पूर्व के वर्षों में दी गई अग्रिमों की असमंजित राशि, वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम व उसका समायोजन तथा वर्ष की समाप्ति पर असमंजित राशि ज्ञात नहीं की जा सकी। रोकड़ बही में दिये गये अग्रिमों का विवरण दर्ज नहीं किया गया था। यथा– दिनांक 08.11.07 को कर्मियों को दिये गये 33,000.00 रू0 अग्रिम किस प्रयोजन हेतु दिया गया था, इसका विवरण नहीं लिखा था। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भुगतान किये गये अग्रिम में सिर्फ अभिकर्त्ता का नाम दर्ज किया गया था। योजना सं0 व वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया था। रोकड़ बही में सिर्फ व्यक्ति का नाम एवं भुगतान की राशि लिखा गया था। भुगतान अग्रिम के रूप में है या व्यय के रूप में यह दर्ज नही किया गया था। इससे लेखा परीक्षा अवधि में समायोजित अग्रिम का विवरण ज्ञात नहीं किया जा सका।

अग्रिम पंजी का संधारण किया जाए। इस में दिये गये सभी प्रकार के अग्रिमों का इन्द्राज किया जाए तथा उनकी वसूली/ समंजन सुनिश्चित कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

31. कार्यपालक अधिकारी से वार्ता

लेखा परीक्षा क्रम में जारी किए गए विभिन्न आपत्तियों पर नगर पंचायत कार्यपालक अधिकारी से दिनांक 30.06.2010 को वार्ता की गई।

32. लेखा परीक्षा परिणाम

(क)	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	11,69,099.40
(ख)	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	5,54,870.00

(विवरण परिशिष्ट – VIII पर)

33. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत, सुगौली के अभिलेखों का संधारण संतोषप्रद नहीं था। रोकड़ पंजी, सहायक रोकड़ पंजी, अनुदान पंजी, योजना पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में अधतन रूप से किया जाना चाहिए। कर संग्रह प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गई राशि का दैनिक वसूली पंजी आदि में पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली में वर्णित अभिलेखों को संधारित करने की कार्रवाई यथाशीघ्र कराई जाए।

(अरूण कुमार)
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

(24)

पत्रांक – एल0 ए0 /अधि0/ 2700 दिनांक:– 10.08.2010

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुगौली को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि विशेष रूप से आहुत समिति की बैठक में यह प्रतिवेदन रखा जाए तथा प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि के तीन महीनों के अंदर अंकेक्षण आपत्तियों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उचित माध्यम से निष्पादन हेतु भेजा जाए।

Sd/-

लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– एल0ए0/ अधि0/ 2701 दिनांक:– 10.08.2010

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रसारित

(1) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

(2) जिलाधिकारी, सुगौली (पूर्वी चम्पारण)

(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ अधिभार

10.8.10

लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट - I

(संदर्भ - कंडिका संख्या - 3)

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किए गए अभिलेखों की सूची

1. विविध रसीद बही
2. गृहकर वसूली रसीद बही
3. गृहकर दैनिक वसूली पंजी
4. लेखापाल रोकड़ पंजी
5. कोषागार पास बुक
6. विभिन्न बैंकों का पास बुक
7. योजना पंजी (सिर्फ 11वीं, 12वीं वित्त आयोग)
8. बंदोबस्ती संचिका
9. योजना संचिका
10. आवेदन पंजी
11. चेक की अधकट्टी
12. अभिज्ञव पंजी

परिशिष्ट - II

(संदर्भ कंडिका सं० - 3)

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1. भण्डार पंजी
2. सेवापुस्त एवं व्यक्तिगत ~~पुर्ति~~ संचिका
3. बजट
4. आय व्यय का वार्षिक / मासिक लेखा
5. करों की मांग व वसूली पंजी
6. कर निर्धारण से संबंधित संचिका
7. अग्रिम पंजी, जमा पंजी
8. ऋण एवं अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र
9. वेतन भुगतान पंजी
10. भविष्य निधि पास बुक
11. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन।

(हस्ताक्षर)
म०ले०प० 90390

22 2

परिशिष्ट - III

संदर्भ: कंडिका-7

वित्त (आय-व्यय)

(12)

शीर्षवार आय विवरणी (2006-07 व 2007-08)

क्रमांक	विवरणी	2006-07	2007-08
1.	स्थापना मद	20,527.00	205,272.00
2.	होल्डिंग टैक्स	1,76,280.00	4,19,182.00
3.	डाक (settlement)	3,78,670.00	4,75,701.00
4.	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	3,82,784.00	—
5.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना	—	1,60,000.00
6.	पथ निर्माण व जीर्णोद्धार	23,25,000.00	—
7.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	—	6,90,279.00
8.	प्रशासनिक भवन निर्माण	—	28,87,875.00
9.	आई.डी.एस.एम.टी.	—	—
10.	बी.पी.एल. सर्वे	94,086.00	32,362.00
11.	उपकरण एवं मशीनरी क्रय	4,25,000.00	—
12.	12 वाँ वित्त आयोग	6,76,285.00	11,22,236.00
13.	UDISSMT (DPR हेतु)	—	25,000.00
14.	ब्याज मद	—	2,11,147.00
15.	आर्थिक गणना	—	16,200.00
16.	विधायक अनुसंशा पर चापाकल अधिष्ठापन	—	12,70,400.00
17.	चुनाव कार्य	—	1,39,000.00
18.	अन्य प्राप्ति	3,54,732.00	1,99,868.00
	कुल	48,33,364.00	78,45,522.00

(13)

शीर्षवार व्यय विवरणी (2006-07 व 2007-08)

क्रम सं०	विवरणी	2006-07	2007-08
1.	स्थापना मद	3,96,425.00	8,43,485.00
2.	11 वाँ वित्त आयोग	10,99,603.00	1,92,196.00
3.	12 वाँ वित्त आयोग	3,17,459.00	9,92,654.00
4.	प्रशासनिक भवन निर्माण।	—	11,95,275.00
5.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना	10,49,782.00	2,39,859.00
6.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना (आवास)	42,400.00	—
7.	ब्याज मद से योजना	4,02,316.00	2,63,045.00
8.	बी.पी.एल. सर्वे	11,673.00	38,870.00
9.	चुनाव	—	[25,900.00] 1,32,000.00
10.	सड़क निर्माण व जीर्णोद्धार	—	23,25,000.00
11.	आर्थिक गणना	—	16,200.00
12.	UDISSMT (OPR हेतु)	—	20,000.00
13.	IDSMT	14,60,000.00	18,31,004.00
14.	अन्य व्यय	4,97,210.00	~~12,06,809.00~~
15.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	94,870.00	9,71,765.00
	कुल	53,71,738.00	~~89,50,253.00~~ 90,56,353.00

(हस्ताक्षर)
अवर अभियन्ता
न०प०प० ...

(15) ~~परिशिष्ट-IV~~ (1) (21) (4)

सन्दर्भ: कंडिका-12

कम जमा

गृह [illegible] की वसूली की गई राशि से कम जमा राशि की विवरणी

तहसीलदार का नाम - श्री किशोरी लाल प्रसाद

क्रम सं.	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली रकम
1	5045 से 5067	2.5.07	4587.08
	5071 से 5075	7.5.07	980
	5084	10.5.07	240
2	4901 से 4910	28.4.07	3079.76
	4920 से 21	30.4.07	365.08
3	4810 से 4850	28.4.07	11667.20
	4855 से 4874	28.4.07	25851
	4883 से 4897	28.4.07	3331.80
4	4311	6.6.06	120
	4316	10.6.06	480
5	5627	26.8.08	120
6	5846	3.10.08	60
7	4702 से 4800	26.4.07	43745.45
8	5201 से 5245	12.6.07	14006.60
	5272	24.12.07	250
	5282	3.1.08	680
	5286	4.1.08	540
	5295	8.1.08	360
9	5581	31.3.08	1200
			1,11,663.97

जमा की गई राशि

1	969	6.7.07	7196
2	975	10.10.07	5741
			12,937

वसूली गई राशि - 1,11,663.97

जमा राशि 12,937.00

कम जमा राशि 98,726.97

[illegible]

आई. सी. एफ. आई.

(2) 1/140 5)

मुहकट की वसूली की गई राशि से कम जमा राशि की विवरणी
तहसीलदार कानगो — श्री प्रमोद पालीवाल

क्रमांक	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
1 –	4301 से 4303	30.5.06 –	1080
	4326 से 4327	–13.3.06 –	1620
	4358 से 4359	– 31.7.06 –	520
	4367	– 18.8.06 –	20
	4385	– 16.9.06 –	2400
	4396	– 23.9.06 –	60
2 –	4401	– 19.8.07 –	4000
	4405		240
	4409 से 4435	– 13.9.07 –	7250
	4483 से 4500	– 15.4.07 – 26.4.07 –	8420
3 –	4514	– 7.11.06 –	620
	4525 से 4529	– 27.11.06 –	4390
	4538	– 9.12.06 –	800
	4547 से 50	– 15.12.06 –	3720
	4554 से 4555	12.1.07 –	1100
	4574 से 4600	– 19.4.07 –	10410
4 –	4659 से 4666	– 27.4.07 –	11480
5 –	4275 से 4297	– 5.5.06 –	9771 –
6 –	4851 से 4852	– 28.4.07 –	1992
	4898 से 4899	– 28.4.07 –	380
7 –	4917 से 4919 –	28.4.07 –	3150
	4922 से 5000 –	30.04.07 –	30,180–16
8 –	5001 से 5044 –	30.4.07 –	64039–56
	5068 से 5069 –	3.5.07 –	90
	5076 से 5077 –	4.5.07 –	700
	5082 से 5083 –	10.5.07	440
	5085 –	17.5.07	120
	5098 से 5100 –	12.6.07	– 280
9 –	5175 से 5176 –	6.11.07 –	640
	5181 –	19.11.07 –	500
10 –	5246 से 5248 –	30.11.07 –	880
	5261	– 7.12.07 –	50
	5284	– 3.1.08 –	50
11 –	5517 से 5526 –	4.2.08	– 18930
	5536 से 5538	– 13.2.08	– 1840
	5541 से 46	– 13.2.08	– 5260
	5559 से 5560	– 7.3.08	– 3360

(1,69,132–72)

Next Page 204482.56.